प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 1701/2006

याचिकाकर्ता : श्रीमती सरोज बाई आदिल, श्री मनोहर लाल आदिल, आयु लगभग 53 वर्ष, , जाति–मेहर(अनुसूचित जाति), सरपंच, ग्राम पंचायत, तरेंगा, विकासखंड भाटापारा, तहसील भाटापारा, जिला रायपुर।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :
1) छ०ग० राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ०ग०)
2) संचालक पंचायत, रायपुर (छ०ग०)
3) अतिरिक्त कलेक्टर, बलौदा बाजार, जिला रायपुर,
4) अनुविभागीय अधिकारी, भाटापारा, जिला रायपुर।
5) ज्ञानेंद्र अग्रवाल, उपसरपंच, ग्राम पंचायत तारेंगा, जनपद पंचायत भाटापारा, रायपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री पी. दिवाकर, वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता।

: राज्य/उत्तरवादीगण क्र. 1 से 4 के लिए श्री विनय हरित, उप महाधिवक्ता।

: उत्तरवादी क्र. 5/कैविएटर के लिए श्री किशोर भादुड़ी, अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(13 अप्रैल, 2006)

भारत के संविधान की अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत यह रिट याचिका, पंचायत निदेशक, रायपुर, जो यहाँ द्वितीय उत्तरवादी हैं, द्वारा पारित यहाँ याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित एक अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध है, जो पाँचवें उत्तरवादी द्वारा तृतीय उत्तरवादी–अतिरिक्त कलेक्टर, बलौदा बाजार, जिला रायपुर द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण याचिका पर दिया गया था, जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (इसके बाद 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 21 के अंतर्गत उसके विरुद्ध पारित 'अविश्वास प्रस्ताव' के विरुद्ध एक अपील में पारित की गई थी।

2. तीसरे उत्तरवादी के समक्ष अपील में उत्थापित मुख्य तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (3) के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, क्योंकि याचिकाकर्ता ने दिनांक 18–1–2005 को अपने निर्वाचन के बाद दिनांक 28–2–2005 को ही ग्राम पंचायत, तारेंगा के सरपंच का पद ग्रहण किया था, जबकि अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दिनांक 14–2–2006 की है। अतिरिक्त कलेक्टर ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिनांक 14–3–2006 के अपने आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव पर अंतरिम रोक लगा दी। पाँचवें उत्तरवादी, जो उसी ग्राम पंचायत अर्थात तरेंगा का उपसरपंच हैं, ने कथन किया है कि उसने तीसरे उत्तरवादी के उपरोक्त अंतरिम आदेश से व्यथित होकर अधिनियम की धारा 21 (2) के तहत दूसरे उत्तरवादी के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर की है। दूसरे उत्तरवादी ने अपने आदेश दिनांक 21–3–2006 द्वारा उक्त पुनरीक्षण पर विचार करते हुए तीसरे उत्तरवादी द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के प्रचालन पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया। परिणामी स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव कायम है। याचिकाकर्ता ने दूसरे उत्तरवादी के उपरोक्त अंतरिम आदेश से व्यथित होकर यह रिट याचिका दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3) यद्यपि याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिवाकर ने कई आधार प्रस्तुत किए, जिनमें यह उजागर करने का प्रयास किया गया कि द्वितीय उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में तृतीय उत्तरवादी द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश पर रोक लगाने वाले आक्षेपित अंतरिम आदेश को अनुदत्त करते समय कुछ अनियमितताएं और पुनरीक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, फिर भी मेरा यह सुविचारित मत है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें मुझे उन सभी तकनीकी तर्कों पर विचार करना चाहिए और उन पर निर्णय देना चाहिए, क्योंकि मुझे इस मामले में न्याय की कोई विफलता दिखाई नहीं देती है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव की वैधता और गुणदोष पर याचिकाकर्ता द्वारा दायर और तीसरे उत्तरवादी के समक्ष लंबित मुख्य अपील में विचार किया जा सकता है। यह कहना पर्याप्त होगा कि अधिनियम की धारा 21 के तहत अविश्वास प्रस्ताव की आरंभिक कार्यवाही को चुनौती देने के लिए उठाया गया मुख्य आधार इस तथ्य के मद्देनजर उपलब्ध नहीं है कि यद्यपि प्रारंभ में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिनांक 4–2–2006 को याचिकाकर्ता के सरपंच पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने से पहले जारी किया गया था, बाद में उस तिथि को बदल दिया गया और अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 10–3–2006 को पारित किया गया, अर्थात् याचिकाकर्ता के ग्राम पंचायत, तरेंगा के सरपंच पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने के बाद ही पारित किया गया। इस मामले को देखते हुए और इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय निकाय में निर्वाचित पदधारी व्यक्ति को अपने मतदाताओं का विश्वास हर समय प्राप्त होना चाहिए, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत हस्तक्षेप करने और याचिकाकर्ता को तीसरे उत्तरवादी के समक्ष लंबित उसकी अपील पर गुणदोष के आधार पर निर्णय होने तक निर्वाचित पद पर बने रहने की अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं हूं। इसके अलावा, यह भी मेरे संज्ञान में लाया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद, पांचवें उत्तरवादी ने दिनांक 13–3–2006 को सरपंच के कार्यालय में प्रवेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किया था। यह भी एक और परिस्थिति है जिसके कारण मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। परिणामस्वरूप और पूर्वगामी कारणों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका खारिज की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

4) हालांकि, तीसरे उत्तरवादी को इस आदेश या उसमें की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना गुणदोष के आधार पर उसके समक्ष लंबित अपील का निराकरण करने का निर्देश दिया जाता है।

5) इस आदेश को ध्यान में रखते हुए, दूसरे उत्तरवादी के समक्ष पांचवें उत्तरवादी द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका में निर्णय लेने का औचित्य नहीं है और मामले के उस दृष्टिकोण में, दूसरे उत्तरवादी को निर्देश दिया जाता है कि यदि मूल अभिलेख तीसरे उत्तरवादी या चौथे उत्तरवादी से प्राप्त हुआ हो, तो उसे तुरंत तीसरे उत्तरवादी को प्रेषित करे ताकि उन्हें याचिकाकर्ता की अपील की सुनवाई और निराकरण में सुविधा हो।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

पाठक

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**